आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
13/06/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 20/2022** **हरिराम महतो व अन्य बनाम् भीम सिंह मुण्डा एवं अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील–64–R15/2020-21 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी है। मूलतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू के न्यायालय द्वारा वाद संख्या–07/2017–18 में मौजा–बारेन्दा, अंचल–सोनाहातु, खाता संख्या–343, खेसरा संख्या–1505, रकबा–5.23 एकड़ भूमि को आदिवासी रैयतों को वापस करने हेतु आदेश पारित किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस आदेश को सम्पुष्ट किया गया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। आवेदकों का कथन है कि प्रश्नगत् भूमि लोदो मुण्डाईन, रिदो मुण्डाईन एवं मोनो मुण्डाईन के नाम से खतियानी दर्ज है। प्रश्नगत् भूमि का खेवट क्रमांक–04/01 मसो0 सुकरमनी, पिता–स्व0 सुकरा मुण्डा के नाम से दर्ज है। रैयतों द्वारा सादा इस्तीफानामा के माध्यम से दिनांक–04.04.1960 को प्रश्नगत् भूमि जमीन्दार को सौंप दी गयी, जिनके द्वारा दिनांक–03.04.1961 को उक्त भूमि आवेदकों के पूर्वजों के साथ बंदोबस्त की गयी। इस प्रकार आवेदकों का प्रश्नगत् भूमि पर लम्बे समय से लगातार दखल है। अतः भूमि वापसी का दावा पूर्णतः कालबाधित है। आवेदकों के तरफ से आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराये गये है। अभिलेखों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि खेवट संख्या–04/01 के अन्तर्गत है, जो मुण्डारी खेवट है। विपक्षी खेवट संख्या–04/01 एवं 04/02 के उत्तराधिकारी है, जबकि आवेदक उन्हें 1961 में निर्गत सादा हुकुमनामा के आधार पर दावा कर रहे है। विचारणीय है कि वर्ष–1956 में जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् जमीन्दार द्वारा	

अनुसूची 14 – फॉरम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	सादा हुकुमनामा के माध्यम से भूमि की बंदोबस्ती किया जाना प्रथम दृष्ट्या ही अवैध है। आवेदकों की तरफ से उक्त हुकुमनामा की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 210/– रुपया नजराना लेकर इस भूमि का बंदोबस्ती पट्टा निर्गत किया गया है। इसी प्रकार खतियानी रैयत के द्वारा वर्ष–1960 में 55/– रुपया लेकर भूमि का इस्तीफानामा भी लिखा गया है। आवेदक द्वारा यह इस्तीफानामा, खेवट के प्रति एवं भूमि के लगान रसीद की प्रति प्रस्तुत की गयी है। वर्ष–1960–61 में जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् इस प्रकार की बंदोबस्ती एवं आदिवासी रैयत द्वारा भूमि का इस्तीफा पूर्णतः अवैधानिक है। निबंधन अधिनियम के धारा–17 के अनुसार भी यह हस्तांतरण अवैध है, क्योंकि प्रश्नगत् दस्तावेज का निबंधन नहीं किया गया है। आवेदकों के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अलावा अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा सुनवाई के दौरान इन्हीं बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखा गया। प्रश्नगत् मामले में Title Suit No.01/89 में पारित आदेशों का उल्लेख आवेदकों के तरफ से किया गया है, जिसमें माधो सिंह मुण्डा को उक्त भूमि पर लगने वाले मेला से Toll Tax वसूल करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रश्नगत् मामले में आदिवासी रैयती भूमि के कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हस्तांतरण एवं सादा हुकुमनामा के माध्यम से किये गये बंदोबस्ती का विषय सम्मिलित है। निम्न् न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर सम्पूर्ण समीक्षा करते हुये अंतिम पारित किये गये है। आवेदकों की तरफ से इस न्यायालय में प्रश्नगत् आदेश के पुनरीक्षण हेतु कोई नया बिन्दु प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। आवेदक अपने स्वत्व के निर्धारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त 12/6/22 प्रमण्डलीय आयुक्त 12/6/22

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 12:49:50 +05:30
Location: 192.168.1.40